न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पंचायत निगरानी संख्या 07 / 19 **वर्ष 2019**

RCMS NO.(2019 / 00093)

बउनवानी:–1. राधेश्याम पुत्र प्रताप चन्द जाति खटीक निवासी शेरपुर तह0 व ,जिला सवाईमाधोपुर
2. मगन पुत्र जमना लाल जाति खटीक निवासी शेरपुर तह0 व ,जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1.रामस्वरूप पुत्र नरसंगा जाति खटीक निवासी शेरपुर तह0 व ,जिला सवाईमाधोपुर
2.ग्राम पंचायत शेरपुर जरिये सरपंच, ग्रा.प. शेरपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

(निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 25.12.1999 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री रघुनन्दन सिंह राजावत — वकील निगरानीकार
2. श्री बच्चू सिंह जाट — वकील अप्रार्थी संख्या–1
3. श्री जय प्रकाश सैनी — वकील अप्रार्थी संख्या–2

–: निर्णय :– दिनांक 12.02.2020

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ,ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा दिनांक 25.12.1999 को जारी आदेश के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि उक्त आदेश दिनांक 25.12.1999 अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षीगणों की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील प्रार्थी ने दौराने सुनवायी कथन किया कि ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा आबादी सीमा में काटी गयी आवासीय हम्मीर कॉलोनी स्कीम में प्लाट संख्या 33 साईज 25X35 फीट दिनांक 6.2.1986 को निलामी में 340/–रू में प्रीतम सिंह सरदार पुत्र श्री तारासिंह निवासी सीमेन्ट फैक्ट्री सवाईमाधोपुर से खरीद किया था जिसका पटटा संख्या 61 दिनांक 25.8.1986 पत्रावली संख्या 252 वर्ष 1986–87 है। इसी तरह उक्त स्कीम में प्लाट संख्या 34 साईज 25X35 फीट दिनांक 6.2.1986 को निलामी में 351/–रू मे संतोष कुमार पुत्र दिनेश कुमार शर्मा निवासी सीमेन्ट फैक्ट्री सवाईमाधोपुर ने खरीद किया था जिसका पटटा संख्या 62 दिनांक 25.8.1986 है तथा पत्रावली संख्या 253 वर्ष 1986–87 है जो उक्त केताओं ने अपना प्लाट(भूखण्ड) संख्या 33 व 34 कमशः दिनांक 2.2.2016 व दिनांक 24.11.2017 को जरिये विक्रय इकरार नामा व जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड निगरानी गुजार संख्या 1 को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया तथा निगरानी गुजार ने उक्त प्लाट संख्या 34 निगरानी गुजार संख्या 2 को जरिये इकरारनामा विक्रय दिनांक 7.3.2018 को विक्रय कर कब्जा सम्भला देने पर उक्त तथाकथित प्लाट संख्या 33 व 34 पर निगरानी गुजार ने नींव भरवाकर जमीन सतह से लगभग 5 फीट दासा लेवल तक निर्माण कर लिया तत्पश्चात विपक्षी संख्या 1 ने निगरानी गुजरान से निर्माण नही करने के लिए कहा तथा बताया है कि तथाकथित प्लाट संख्या 33 व 34 की भूमि मेरे पटटा शुद्वा भूमि है जो विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 25.12.1999 को ग्राम पंचायत शेरपुर विपक्षी संख्या 2 से खरीद करना बताया। पटटा विक्रय विलेख पर सचिव के हस्ताक्षर नही है, कोई पटटा /पत्रावली संख्या अंकित नही है तथा ना ही विक्रय राशि की रसीद संख्या व दिनांक का अंकन है और ना ही मिसल संख्या दर्ज है इसके अतिरिक्त उक्त स्थान का पटटा पूर्व मे दिनांक 25.8.1986 को जारी किया जा चुका है जिससे ऐपरेन्ट ली पटटा दिनांक 25.12.1999 फर्जीयत कर बनाया होने से फर्जी है। निगरानी गुजार ने विपक्षी संख्या 1 के फर्जी पटटा दिनांक 25.12.1999 की विपक्षी संख्या 2 से नकल प्राप्त करने का आवेदन किया तो विपक्षी संख्या 2 ने नकल देने से मना कर दिया तथा तथाकथित पटटे की कोई पत्रावली विपक्षी संख्या 2 के रिकार्ड मे नही होना व पटटा जारी नही होना बताया गया। निगरानी संलग्न जैर फर्जी पटटा की नकल निगरानी गुजार ने कोर्ट से प्राप्त की जो कि विपक्षी संख्या 1 ने निगरानी गुजार को पाबंद करवाने का दावा पेश किया जाने

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पर वकील साहब द्वारा दिनांक 2.7.2019 को बताये जाने पर ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 25.12.1999 की जानकारी प्राप्त होने पर न्यायालय से उक्त पटटे की नकल दिनांक 4.7.2019 को प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे का ग्राम पंचायत शेरपुर की हम्मीर कॉलोनी में एक आवासीय भूखण्ड स्थित है जो पूर्व–पश्चिम 35 फीट एवं उत्तर–दक्षिण 70 फीट कुल क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट अर्थात 272 वर्गगज का है और जिसके उत्तर में स्वंय की इजाजतशुदा भूमि पूर्व दिशा में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता एवं पश्चिम में आम रास्ता तथा भूखण्ड का दरवाजा है जो कि वादगस्त भूखण्ड बताया गया है किन्तु उक्त भूखण्ड मुझ अप्रार्थी का है जिसका ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा दिनांक 25.12.1999 को मुझे पटटा दिया गया है उक्त पटटे हेतु ग्राम पंचायत 2750/–रू भी जमा करवाये गये है, यदि ग्राम पंचायत शेरपुर में उक्त पटटे से संबंधित अभिलेख मौजूद नही है तो उसके लिए अप्रार्थी जिम्मेदार नही है उक्त रिकार्ड ग्राम पंचायत को सम्भाल कर रखना चाहिए था। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थीगण पटटा संख्या 61 व 62 की आड में मेरे प्लाट पर कब्जा करना चाहते है जबकि उक्त पटटो के भूखण्ड की साईज 25X35 तथा मुझ अप्रार्थी के भूखण्ड की साईज 25X70 वर्ग फीट है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा मुताबिक सिविल न्यायालय की कमिश्नर मौका रिपोर्ट के अनुसार 35.5X36 एवं 35.5X27 फीट पर निर्माण कार्य करवाया गया है जो उनके पटटे में अंकित भूखण्ड की माप से अधिक है इससे यह सिद्व होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने पटटे की भूमि पर निर्माण नही करके अप्राार्थी की पटटे शुदा भूमि पर निर्माण किया है ओर इसी तथ्य को मध्यनजर रखते हुए माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश द्वारा प्रार्थीगण को उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य नही करने बाबत जरिये स्थगन आदेश दिनांक 29.9.2018 से रोका गया है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा मुझ अप्रार्थी के पटटे शुदा भूखण्ड पर नाजायज तरीके से निर्माण कार्य किया है जिसके संबंध में मेरे द्वारा सिविल न्यायालय मे वाद पेश किया है जिसपर ताफैसला दावा स्थगन जारी किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जाने बाबत वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया।

रिब्यूटल में वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि सिविल न्यायालय के दावे मे श्रीमान जिला कलेक्टर पक्षकार नही होने से पाबंद नही है तथा उक्त दावा पटटा निरस्त करवाने बाबत प्रस्तुत नही किया है एवं पटटे की वैद्यानिकता के संबंध में आदेश पारित करने का अधिकार श्रीमान कलेक्टर महोदय के न्यायालय को प्राप्त है इसलिए उक्त स्थगन से कोई लेना देना नही है।

विद्वान वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि प्रथम तो उक्त पटटे से संबंधित भूखण्ड के संबंध मे माननीय सिविल न्यायालय मे वाद जैरकार है जिसमे पक्षकारान का हित तय होना है। इसके अतिरिक्त पटटे से संबंधित मूल अभिलेख उपलब्ध नही होने से उक्त पटटे की वैद्यानिकता के बारे मे किसी प्रकार टिप्पणी किया जाना तर्क संगत नही है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा जारी पटटा दिनांक 25.12.1999 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.04 15:49:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: